न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—144 / 2020 (2020 / 00291) वाद पत्र

अनवान

1—शान्तिलाल पिता जोरावरमल भदादा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—श्यामलाल पिता मोहनलाल भदादा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—चान्दमल पिता मोहनलाल भदादा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—कंचन पिता मोहनलाल भदादा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—गीता पिता मोहनलाल भदादा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—किशना पिता नंगजी गाडरी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—उदयराम पिता हीरा तेली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता वादीगण
2. हरीश टेलर — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः—07.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खातेदारी कृषि आराजियात ग्राम रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 839 में अकिंत आराजी संख्या 424 रकबा 0.17 है0 व खाता संख्या 847 में अकिंत आराजी संख्या 422 रकबा 0.20 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि आराजियात संख्या 424 रकबा 0.17 हैक्ट व आ.स. 422 रकबा 0.20 हैक्ट. के पश्चिमी कोने पर मौके पर आम रास्ता सरकारी नाला बना हुआ है तथा प्रार्थीगण ने अपनी आराजियात के चारदीवारी कर रखी जो करीब 50 वर्ष पूरानी तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात में आवागमन के लिए आ.स. 424 के पश्चिमी कोने पर लोहे का दरवाजा लगा रखा है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी के पश्चिमी कोने पर स्थित रास्ता 60—70 वर्ष से चालू होकर सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है तथा इसके आगे सरकारी नाला है जो रायपुर तालाब का केचमेन्ट एरिया है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजियात के पश्चिमी कोने पर स्थित रास्ता जो विपक्षीगण के नाम दर्ज होकर राजस्व जमाबंदी में इसकी किस्म गै.मु. रास्ता है जो आगे जाकर आ.स. 428 किस्म गै.मु. रास्ता में मिलता है उक्त रास्ता भी विपक्षीगण के नाम दर्ज है। उक्त रास्ता मौके पर रायपुर की बसावट के ... सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है तथा इस पर विपक्षीगण का कोई कब्जा नहीं है। ... के नाम दर्ज रास्ते की आ.स. 423 रकबा 0.03 हैक्ट भूमि मौके पर रास्ता व सरकारी नाले ... उपयोग में आ रही है परंतु विपक्षीगण जबरन उक्त रास्ता जो सार्वजनिक उ... सरकारी नाला के उपयोग में आ रहा है उस पर अवैध कब्जा करने की नियत से प्रार्थीगण की ... के आवागमन के दरवाजे व दीवार को हटाने की धमकी दे रहे हैं तथा नहीं हटाने पर जबरन प्रार्थीगण के दरवाजा व दीवार को तोड़कर प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन के रास्ते को बंद करने व प्रार्थीगण की भूमि में अवैध

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:48:55 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा करने व रास्ते की भूमि पर दुकानों का निर्माण करने की धमकी दे रहे है। जिससे विपक्षीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण अपनी आ.सं. 422 व 424 में करीब 50 वर्षों से भी अधिक समय से गै.मु. रास्ता संख्या 423 से होकर अपनी आराजी में आवागमन कर रहे हैं तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग में आ रहा हैं व कुछ हिस्सा सरकारी नाला में उपयोग हो रहा है जिस पर विपक्षीगण व उनके पूर्व खातेदारान का पिछले 50 वर्षों से कोई कब्जा नहीं है परंतु अब विपक्षीगण ने सार्वजनिक उपयोग के रास्ते व सरकारी नाले की जमीन पर अवैध कब्जा कर प्रार्थीगण के आवागमन को बंद करने तथा प्रार्थीगण की आराजियात की दीवार को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं तथा दिनांक 20.10.2020 को विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि तुम्हारी दीवार व दरवाजा को हटा लेना नहीं तो हम जबरन ताकत के बल पर तोड़ देंगे व तुम्हारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लेगें जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है। प्रार्थीगण की कृषि आ.सं. 422 व 424 पर पक्की दीवार बनी हुई हैं तथा रास्ते में आवागमन के स्थान पर लोहे का दरवाजा लगा हुआ है जिसे विपक्षीगण जबरन ताकत के बल पर तोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमी पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं तथा गे.मु. रास्ता की आस 423 रकबा 0.03 हैक्ट जो मौके पर सार्वजनिक रास्ता व सरकारी नाला के उपयोग में आ रही हैं उस पर अवैध कब्जा कर दुकानो का निर्माण कर प्रार्थीगण के आवागमन को बंद करने पर आमादा है यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक प्रार्थीगण विरुद्ध विपक्षीगण ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाए कि ग्राम रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आ. स. 422 व 424 जिस पर प्रार्थीगण की पक्की दीवार व आवागमन के लिए लोहे का दरवाजा लगा हुआ है जिसे विपक्षीगण न तो स्वयं तोड़े न किसी अन्य से तुडवावे तथा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन अवैध कब्जा न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी के पश्चिमी कोने पर स्थित रास्ता जो आ सं. 423 गेमु रास्ता है जो सार्वजनिक उपयोग का हैं तथा इसका कुछ हिस्सा सरकारी नाले के उपयोग में आ रहा है जिस पर विपक्षीगण जबरन अवैध कब्जा कर किसी तरह का निर्माण न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे एवं प्रार्थीगण के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं पहुँचाए न किसी अन्य से पहुँचाए तथा राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे। यदि दौराने वाद विपक्षीगण प्रार्थीगण की आराजी की दीवार को तोड़कर प्रार्थीगण की आराजी पर अवैध कब्जा कर लेवे तथा रास्ता व नाला की भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर लेवे तो जरिए आदेशात्मक आज्ञा के विपक्षीगण का कब्जा हटा कर पुन पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने की आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया [illegible] फारमल पक्षकार है।

विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से [illegible] में अंकन किया कि जहां तक प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.17 है0 एवं आराजी संख्या 422 रकबा 0.20 है0 भूमि स्थित हो [illegible] है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 424, 422 के पश्चिमी कोने पर कोई रास्ता मौजुद नहीं है, ब[illegible] विपक्षीगण की आराजी संख्या 423 व 428 खातेदारी भूमियां है और विपक्षीगण ने आवागमन हेतु छोड़ रखा है तथा नाला सड़क की अतिरिक्त भूमि पर स्थित है किन्तु आराजी संख्या 422 के खातेदार प्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4, 5 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:48:55 IST
Reason: SelfAttested

अनाधिकृत रूप से हम विपक्षीगण की आ.स. 423 को उनकी आराजी संख्या 422 में मिलाकर 423 पर भी बलात् आधिपत्य कर उसके कुछ हिस्से पर करीबन 3 वर्ष पूर्व दीवार का निर्माण अतिक्रमण कर लिया जिससे रास्ता सकड़ा हो गया, और लोहे की फाटक आराजी संख्या 422 में नहीं होकर आराजी संख्या 423 में प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 द्वारा किये गये बलात् आधिपत्य में लोहे की फाटक लगा दी। रास्ता 60—70 वर्षों से चालु हैं, किन्तु सार्वजनिक उपयोग उपभोग का नहीं होकर हम विपक्षीगण के खातेदारी अधिकार का हैं, किन्तु उक्त रास्ते की भूमि पर या अन्य किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं हैं। उसके बावजूद प्रार्थीगण ने हम विपक्षीगण की खातेदारी की आराजी संख्या 423 व 428 पर भी अतिक्रमण करते हुए 3 वर्ष पूर्व उनकी आराजियात के साथ—साथ दीवार का निर्माण करवा दिया। जिसको हम विपक्षीगण पुनः हटाने के अधिकारी हैं। सरकारी नाला जो आराजी संख्या 423 में नहीं होकर सड़क की अतिरिक्त भूमि में है, जो तालाब का कैचमेंट एरिया हैं। प्रार्थीगण की आराजियात के पश्चिमी कोने पर गे.मु. रास्ते की आरजी संख्या 428 स्थित है, स्वीकार है। उक्त रास्ता सायपुर की बसावट के समय का नहीं होकर हम विपक्षीगण द्वारा ही हमारी समझ आने के बाद स्वयं ने आवागमन हेतु छोड़ा हैं, किन्तु यह सार्वजनिक उपयोग उपभोग का नहीं होकर आज भी हमारी खातेदारी में दर्ज हैं। हम विपक्षीगण के नाम आराजी संख्या 423 रकबा 0.03 हैक्ट भूमि कुछ रास्ते में छुटी हुई और कुछ पर प्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण 3 वर्ष पूर्व कर लिया गया हैं। उक्त आराजी में सरकारी नाला नहीं हैं, प्रार्थीगण उक्त आराजी में अतिक्रमण करने का भी कोई अधिकार नहीं रखते हैं। विपक्षीगण ने प्रार्थीगण की किसी दीवार या दरवाजे को तोड़ने या रास्ता बन्द की धमकी नहीं दी हैं। न ही रास्ते की भूमि पर दुकानों का निर्माण करने की धमकी दी। तथा आराजी संख्या 423 और 428 हम विपक्षीगण के खातेदारी की है। इस प्रार्थना पत्र के जरिये किसी खातेदार के विरुद्ध प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नहीं करवा सकते हैं। प्रार्थीगण ने 50 वर्षों से आराजी संख्या 423 में आवागमन करना अंकित किया हैं, और कभी नाला सरकारी स्थित होना अंकित किया हैं, जो अपने आप में विरोधाभाषी हैं। रास्ता खातेदारी का है। सार्वजनिक उपयोग उपभोग का नहीं हैं। 50 वर्षों से हम विपक्षीगण के ही कब्जे में चला आ रहा है, किन्तु आवागमन हमने नहीं रोका हैं। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं हैं। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 422 व 424 के साथ—साथ हम प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 423 रकबा 0.03 हैक्ट, भूमि के कुछ भाग पर भी बलात् आधिपत्य कर प्रार्थीगण ने अवैध कब्जा कर मिला लिया गया है। और उस पर भी अनाधिकृत रूप से दीवार का निर्माण कर लिया गया है। आराजी संख्या 423 मौके पर सार्वजनिक रास्ते एवं नाले के उपयोग में नहीं आ रही हैं, बल्कि खातेदारी की भूमि है, किन्तु आवागमन हेतु हम विपक्षीगण ने ही रास्ता छोड़ा हैं। इस पर प्रार्थीगण या अन्य व्यक्तियों का कोई कानूनी हक एवं अधिकार नहीं हैं। हम विपक्षीगण ने रास्ते को कभी बन्द नहीं किया हैं और न ही कर रहे हैं। मजीद कथन के रूप में जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी संख्या 423 गै.मु. रास्ता तो विपक्षीगण की खातेदारी अधिकार का है इस पर भी निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की है, [illegible] खातेदार के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। वाद विधि द्वारा वर्जित है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते को सार्वजनिक उपयोग उपभोग का एवं नाले को सरकारी बताकर इसके संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा चाही हैं जो जरिये जनहित बाद या प्रतिनिधि वाद के रूप में ही सिविल न्यायालय द्वारा प्रदत्त की जा सकती हैं। और रास्ते पर 50 वर्ष से अधिक आवागमन बताया है, जो सुखाधिकार की श्रेणी में आता हैं। वह भी सिविल न्यायालय द्वारा ही प्रदत्त किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय को ऐसे मामले को सुनने का अधिकार नहीं है। क्षैत्राधिकार के अभाव में यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:48:55 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या (423 रकबा 0.03 हैक्ट भूमि पर कुछ हिस्से पर प्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 05 ने आज से 3 वर्ष पूर्व दिनांक 19.08.2017 को दीवार का निर्माण कर हम विपक्षीगण की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उनकी आराजी संख्या 422 में मिलाकर बलात् आधिपत्य कर दिया, जिससे रास्ता भी सकड़ा हो गया। इस हेतु यह काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 183 आर.टी. एक्ट के तहत बाबत् कब्जेयाबी की डिक्री जारी करवाने हेतु विपक्षीगण ने मूल वाद पत्र में जवाब के साथ प्रस्तुत किया है जो ठोस आधारो पर होने से अवश्यमेव डिक्री होगा।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा मौके पर खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते के पास लोहे की फाटक बिठा रखी है जो प्रार्थी के आवागमन के काम आ रही है। मौके पर प्रार्थी की भूमि नही होकर आराजी संख्या 423 रास्ते की भूमि है जो आवागमन हेतु काम आ रही है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की फाटक को हटाना चाहते है जिससे प्रार्थीगण को नुकसान होगा। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण विपक्षी की आराजी संख्या 423 में निर्माण करना चाह रहे है। जिससे विपक्षीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। विपक्षीगण खातेदार है। खातेदार के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि आराजी संख्या 423 विपक्षीगण की खातेदारी भूमि है जो रास्ते के रूप में दर्ज है इससे लगती हुई प्रार्थी की आराजी संख्या 422, 424 स्थित है। जिसमें जाने हेतु प्रार्थीगण के द्वारा लोहे की फाटक लगा रखी है। विपक्षीगण के द्वारा अगर प्रार्थी की फाटक हटा दी जाती है तो प्रार्थीगण की अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रमाणित है किन्तु विपक्षी आरजी संख्या 423 का खातेदार कृषक है जिसके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना उचित नही है किन्तु दोनो पक्षो के मध्य भूमि को लेकरके आगे कोई विवाद नही बढ़े और आपस में मौके पर शान्ति बनी रहे इसके लिये वर्तमान मौका स्थिति को मूलवाद के निर्णय तक यथावत रखी जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट आंशिक एवं विपक्षीगण द्वारा जवाब के मजीद कथन में वर्णित तथ्यो को आंशिक स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम रायपुर की आराजी संख्या 422, 423 व 424 के मौके की यथावत स्थिति रखी जावे। उभयपक्ष मौका स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे तथा किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द एवं अन्तरित नही की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:48:55 IST
Reason: SelfAttested

07.06.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा